

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संस्थानों/कॉलेजों की सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण हेतु गठित निरीक्षण समिति की निरीक्षा आख्या/रिपोर्ट संबंधी प्रारूप

1. सोसाइटी/ट्रस्ट का विवरण।

सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता		
पंजीकरण संख्या एवं दिनांक		
वैधता (दिनांक एवं वर्ष)		
सोसाइटी के सदस्यों का नाम	पदनाम	पता
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

- सोसाइटी/ट्रस्ट के सदस्यों के मध्य कोई विवाद हो तो उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। उपरोक्त से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में अनिवार्य रूप से संलग्न करें (संलग्नक सं०)

2. संस्थान का नाम पूरा पता एवं स्थापना वर्ष।

संस्थान का नाम	संस्थान का पूरा पता	दूरभाष संख्या एवं ई-मेल	स्थापना वर्ष

3. संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का नाम पदनाम, शैक्षिक योग्यता, दूरभाष संख्या एवं ई-मेल का विवरण।

निदेशक/प्राचार्य का नाम	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	दूरभाष संख्या एवं ई-मेल

4. (a) संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण।

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	पाठ्यक्रम की अवधि	पाठ्यक्रम प्रारम्भ वर्ष

(b) संस्थान में प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का विवरण।

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	पाठ्यक्रम की अवधि	पाठ्यक्रम प्रारम्भ वर्ष

(c) संस्थान में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीट वृद्धि का विवरण।

पाठ्यक्रम का नाम	नियामक परिषद द्वारा पूर्व में अनुमोदित प्रदेश क्षमता	नियामक परिषद द्वारा अनुमोदित सीट वृद्धि सहित प्रवेश क्षमता	सीट वृद्धि किस सत्र से की जा रही है।

निरीक्षण समिति के प्रत्येक सदस्यों के हस्ताक्षर

5. पूर्व में कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त अस्थाई सम्बद्धता /सम्बद्धता विस्तारण का विवरण।

पाठ्यक्रमों का नाम	प्रवेश क्षमता	शासनादेश संख्या	दिनांक	शैक्षिक सत्र..... से.....तक मान्यता प्राप्त है।

● कुलाधिपति सचिवालय से निर्गत शासनादेश की छायाप्रति पत्रावली में अनिवार्य रूप से संलग्न करें। (संलग्नक सं०)

6. नियामक संस्था/परिषद (MCI/PCI/INC/DCI) की मान्यता/स्वीकृति का विवरण।

नियामक संस्था/परिषद का नाम	मान्यता/अनुमोदन पत्र की संख्या एवं शैक्षिक सत्र	मान्यता/अनुमोदन पत्र जारी होने का दिनांक एवं वर्ष

● मान्यता पत्र की छायाप्रति पत्रावली में अनिवार्य रूप से संलग्न करें। (संलग्नक सं०)

7. भूमि मानक के अनुसार निर्धारित भूमि का विवरण।

विश्वविद्यालय/नियामक संस्था/परिषद के मानकों के अनुसार संस्थान में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित भूमि की आवश्यकता (एकड़ में)	संस्थान में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित भूमि की उपलब्धता (एकड़ में)

● भूमि की खसरा-खतौनी (कम्प्यूटराइज्ड) अनिवार्य रूप से पत्रावली में संलग्न करे। (संलग्नक सं०)

8. भू-उपयोग सम्बन्धी विवरण।

संबंधित विभाग का नाम जिसके द्वारा भू-उपयोग प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।	भू-उपयोग प्रमाण-पत्र सं० एवं दिनांक

● भू-उपयोग सम्बन्ध प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से पत्रावली में संलग्न करें। (संलग्नक सं०)

9. भवन निर्माण हेतु भवन मानचित्र की स्वीकृति का विवरण।

संबंधित विभाग नाम जिसके द्वारा मानचित्र स्वीकृत किया गया है।	संबंधित विभाग द्वारा निर्गत पत्र की संख्या एवं दिनांक	यदि भवन मानचित्र संबंधित विभाग से स्वीकृत नहीं है तो कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

● स्वीकृत मानचित्र की प्रमाणित रूप से पत्रावली में संलग्न करें। निरीक्षण समिति द्वारा भवन आदि के समय लिये गये संयुक्त फोटोग्राफ एवं भवनों के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से पत्रावली में संलग्न करें। (संलग्नक सं०.)

10. भूकम्परोधी प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण-पत्र एवं अन्य अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का विवरण।

संबंधित विभाग का नाम जिसके द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।	संबंधित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की संख्या एवं दिनांक

● समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से पत्रावली में संलग्न करें। (संलग्नक सं०)

निरीक्षण समिति के प्रत्येक सदस्यों के हस्ताक्षर।

11. (a) संचालित पाठ्यक्रमों हेतु मानकों के अनुसार निर्मित भवनों इत्यादि का विवरण।

विवरण	विश्वविद्यालय/नियामक संस्था/ परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार भवन आदि की आवश्यकता (वर्ग मी० में)	विश्वविद्यालय/नियामक संस्था/परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार भवन आदि की उपलब्धता (वर्ग मी० में)		
		RCC द्वारा निर्मित भवन (वर्ग०मी० में)	अन्य किसी प्रकार से निर्मित भवन (टीन शेड, प्री फेब्रिकेटेड आदि) (वर्ग मी० में)	कुल उपलब्ध निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी० में)
शैक्षिक भवन (Instructional Areas) (Carpet Area)				
प्रशासनिक भवन (Administrative Area) (Carpet Area)				
सुविधाधारक भवन (Amenities Area) (Carpet Area)				
अन्य भवन (प्रशासन गैलरी एवं सीढिया इत्यादि) (Circulation and Other Area)				
योग (Total)				

- निरीक्षण समिति द्वारा भवन आदि निरीक्षण के समय लिये गये संयुक्त फोटोग्राफ एवं भवनों के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से पत्रावली में संलग्न करें। (संलग्नक सं०)

(b) अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु मानकों के अनुसार निर्मित भवनों इत्यादि का विवरण।

विवरण	विश्वविद्यालय/नियामक संस्था/ परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु भवन आदि की आवश्यकता (वर्ग मी० में)	विश्वविद्यालय/नियामक संस्था/परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार भवन आदि की उपलब्धता (वर्ग मी० में)		
		RCC द्वारा निर्मित भवन (वर्ग०मी० में)	अन्य किसी प्रकार से निर्मित भवन (टीन शेड, प्री फेब्रिकेटेड आदि) (वर्ग मी० में)	अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु कुल उपलब्ध निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी० में)
शैक्षिक भवन (Instructional Areas) (Carpet Area)				
प्रशासनिक भवन (Administrative Area) (Carpet Area)				
सुविधाधारक भवन (Amenities Area) (Carpet Area)				
अन्य भवन (प्रशासन गैलरी एवं सीढिया इत्यादि) (Circulation and Other Area)				
योग (Total)				

- निरीक्षण समिति द्वारा भवन आदि निरीक्षण के समय लिये गये संयुक्त फोटोग्राफ एवं भवनों के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से पत्रावली में संलग्न करें। (संलग्नक सं०.....)

(c) पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीट वृद्धि के सापेक्ष मानकों के अनुसार निर्मित भवनों इत्यादि का विवरण।

विवरण	नियामक संस्था/परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार अतिरिक्त सीट हेतु भवन आदि की आवश्यकता (वर्ग मी० में)	नियामक संस्था/परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार भवन आदि की उपलब्धता (वर्ग मी० में)		
		RCC द्वारा निर्मित भवन (वर्ग०मी० में)	अन्य किसी प्रकार से निर्मित भवन (टीन शेड, प्री फेब्रिकेटेड आदि) (वर्ग मी० में)	अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु कुल उपलब्ध निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी० में)
शैक्षिक भवन (Instructional Areas) (Carpet Area)				
प्रशासनिक भवन (Administrative Area) (Carpet Area)				
सुविधाधारक भवन (Amenities Area) (Carpet Area)				
अन्य भवन (प्रशासन गैलरी एवं सीढिया इत्यादि) (Circulation and Other Area)				
योग (Total)				

- निरीक्षण समिति द्वारा भवन आदि निरीक्षण के समय लिये गये संयुक्त फोटोग्राफ एवं भवनों के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से पत्रावली में संलग्न करें। (संलग्नक सं०.....)

निरीक्षण समिति के प्रत्येक सदस्यों के हस्ताक्षर।

12 (a) संचालित पाठ्यक्रमों हेतु कक्षाओं का विवरण।

पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता	विश्वविद्यालय/नियामक संस्था/परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित /प्रस्तावित पाठ्यक्रमों हेतु कितनी कक्षाओं (Class Room) की आवश्यकता है। कुल संख्या अंकित करें।	संस्थान में संचालित /प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के सापेक्ष कितने कक्ष (Class Room) उपलब्ध है। कुल संख्या अंकित करें।

- निरीक्षण समिति द्वारा कक्षाओं के निरीक्षण के समय लिये गये संयुक्त फोटोग्राफ एवं कक्षाओं के फोटोग्राफ पत्रावली में अनिवार्य रूप में संलग्न करें। (संलग्नक संख्या)

(b) अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु कक्षाओं का विवरण।

पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता	विश्वविद्यालय/नियामक संस्था/परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु कितनी कक्षाओं (Class Room) की आवश्यकता है। कुल संख्या अंकित करें।	संस्थान में प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के सापेक्ष कितने कक्ष (Class Room) उपलब्ध है। कुल संख्या अंकित करें।

- निरीक्षण समिति द्वारा कक्षाओं के निरीक्षण के समय लिये गये संयुक्त फोटोग्राफ एवं कक्षाओं के फोटोग्राफ पत्रावली में अनिवार्य रूप में संलग्न करें। (संलग्नक संख्या.....)

(C) पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का विवरण।

पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता	विश्वविद्यालय/नियामक संस्था/परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु कितनी कक्षाओं (Class Room) की आवश्यकता है। कुल संख्या अंकित करें।	संस्थान में अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु कितने कक्ष (Class Room) उपलब्ध हैं। कुल संख्या अंकित करें।

- निरीक्षण समिति द्वारा कक्षाओं के निरीक्षण के समय लिये गये संयुक्त फोटोग्राफ एवं कक्षाओं के फोटोग्राफ पत्रावली में अनिवार्य रूप में संलग्न करें। (संलग्नक संख्या.....)

निरीक्षण समिति के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर

